संख्या-107/2023/2264/सैंतीस-2-2023/001-1(39)/07

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-26 सितम्बर, 2023

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-232/सा0-1/एक्स-120(187)/अनुरक्षण/2023-24, दिनांक-14.09.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-04-पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) के मानक मद 29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-128.55 लाख (रूपये एक करोड़ अठ्ठाईस लाख पचपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जायेगा, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अनुरक्षण कार्य हेतु गठित आगणन पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग अथवा उ0प्र0 शासन, जो भी सक्षम स्तर हो, का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि से लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

7. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
8. कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही उक्त कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,28,55,000 (रुपये एक करोड़ अट्ठाईस लाख पचपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 2403001010400 पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-107/2023/2264(1)/सैंतीस-2-2023/001-1(39)/07, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-107/2023/2264/सैंतीस-2-2023/001-1(39)/07, दिनांक-26 सितम्बर, 2023 का संलग्नक:-

पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) वर्ष 2023-24

क्र0	जनपद का नाम	विभागीय संस्थाओं का नाम/स्थल	निर्माण का वर्ष	आंकलित लागत (लाख में)
1	मथुरा	प.चि. धानातेजा, वि.ख. फरह	1986	1.00
2	मथुरा	प.चि. फरह, वि.ख. फरह	1984	1.00
3	मथुरा	प.चि. शेरगढ़, वि.ख. छाता	1980	1.00
4	मथुरा	प.चि. विसावली, वि.ख. राया	1992	1.00
5	मथुरा	प.चि. न0 अम्बू, वि.ख. राया	1991	1.00
6	मथुरा	प.चि. बरसाना, वि.ख. नन्दगॉव	997	1.00
7	मथुरा	प.चि. राया, वि.ख. राया	1994	1.00
8	मथुरा	प.चि. सोंख, वि.ख. गोवर्धन	1998	1.00
9	मथुरा	प.चि. नौहझील, वि.ख. नौहझील	--	1.00
10	मैनपुरी	प.चि. भनऊ, वि.ख. सुल्तानगंज	2009	0.80
11	मैनपुरी	प.चि. शाहजहांपुर, वि.ख. घिरौर	2008	0.80
12	मैनपुरी	प.चि. कुसमरा, वि.ख. किशनी	2007	0.80
13	मैनपुरी	प.चि. पथरऊवा, वि.ख. कुरावली	2008	0.80
14	मैनपुरी	प.चि. खिरिया पीपल, वि.ख. कुरावली	2008	0.80
15	मैनपुरी	प.चि. नगला झम्मन, वि.ख. कुरावली	2008	0.80
16	बाराबंकी	प.चि. देवीगंज	2007	0.99
17	बाराबंकी	प.चि. पठकनपुरवा	2007	0.98
18	बाराबंकी	प.चि. सिद्धौर	1985	0.99
19	बाराबंकी	प.चि. खुटौली	2008	0.98
20	बाराबंकी	प.चि. सहादतगंज	2009	0.99
21	वाराणसी	प.चि. पिण्डरा, वि.ख. पिण्डरा	--	1.00
22	वाराणसी	प.चि. लठिया, वि.ख. काशीविद्यापीठ	2013	1.00
23	वाराणसी	प.से.के. पिण्डरा, वि.ख. पिण्डरा	2012	1.00
24	वाराणसी	ग्रा.स.इ. राजवारी, वि.ख. चोलापुर	--	1.00
25	वाराणसी	ग्रा.स.इ. काशीपुर, वि.ख. आराजीलाइन	--	1.00
26	गाजीपुर	प.चि. सदर, वि.ख. सदर	1977	0.80
27	गाजीपुर	प.चि. जंगीपुर, वि.ख. बिरनो	2012-13	0.75
28	गाजीपुर	प.चि. सिन्धौना, वि.ख. सैदपुर	2003-04	0.75
29	गाजीपुर	प.चि. वासुपुर, वि.ख. देवकली	2003-04	0.80
30	गाजीपुर	प.चि. गौरी, वि.ख. सैदपुर	2003-04	0.75
31	गाजीपुर	प.चि. ताड़ीघाट, वि.ख. रेवतीपुर	2006-07	0.80
32	गाजीपुर	प.चि. चकमेदनी, वि.ख. जमानियां	2011-12	0.80
33	गाजीपुर	प.चि. सुभाखरपुर, वि.ख. सदर	1980	0.90
34	गाजीपुर	प.चि. देवकली, वि.ख. देवकली	2011-12	0.85
35	रायबरेली	प.चि. जगतपुर, वि.ख. जगतपुर	--	0.90
36	रायबरेली	प.चि. खीरो, वि.ख. खीरो	--	0.90

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

37	रायबरेली	प.से.के. हरदीटीकर, वि.ख. जगतपुर	--	0.85
38	जौनपुर	प.चि. केराकत	--	1.00
39	फतेहपुर	प.चि. थरियांव, वि.ख. असोथर	2004-05	1.00
40	फतेहपुर	प.चि. बकेवर, वि.ख. देवमई	2003-04	1.00
41	फतेहपुर	प.चि. ऐरायां, वि.ख. ऐरायां	2004-05	1.00
42	फतेहपुर	प.चि. प्रेमनगर, वि.ख. ऐरायां	2004-05	1.00
43	फतेहपुर	प.चि. खखरेरू, वि.ख. विजयीपुर	2000-01	0.95
44	फतेहपुर	प.चि. खजुहा, वि.ख. खजुहा	2003-04	0.95
45	फतेहपुर	प.चि. किशनपुर, वि.ख. विजयीपुर	2003-04	0.90
46	फतेहपुर	प.चि. दमापुर, वि.ख. तेलियानी	2004-05	0.90
47	बलिया	प.चि. बैरिया, वि.ख. बैरिया	2003-04	1.00
48	बलिया	प.चि. रसड़ा, वि.ख. रसड़ा	2003-04	1.00
49	बलिया	प.चि. मुडेरा, वि.ख. रसड़ा	2003-04	0.95
50	बलिया	प.चि. एकौनी, वि.ख. सोहाव	2007-08	0.95
51	बलिया	प.चि. करमानपुर, वि.ख. बैरिया	2007-08	0.95
52	बलिया	प.चि. बड़ागांव, वि.ख. मनियन	2002-03	0.95
53	बलिया	प.चि. बधुडी, वि.ख. नवानगर	2002-03	0.90
54	बलिया	प.चि. सरायभारती, वि.ख. रसड़ा	2001-02	0.90
55	बलिया	'द' श्रेणी प.औ. दयाछपरा, वि.ख. बैरिया	1999-00	0.90
56	कौशाम्बी	प.से.के. उदहीन बुजुर्ग, वि.ख. सिराथू	2013-14	0.95
57	कौशाम्बी	प.से.के. बैरमपुर, वि.ख. सरसवां	2006-07	0.95
58	कौशाम्बी	प.से.के. आलमचन्द्र, वि.ख. मूरतगंज	2018-19	0.90
59	कौशाम्बी	प.से.के. मंझनपुर, वि.ख. मंझनपुर	2016-17	0.95
60	चित्रकूट	प.चि. बरगढ़, वि.ख. मऊ	--	1.00
61	चित्रकूट	प.चि. मारकुण्डी, वि.ख. मानिकपुर	--	1.00
62	चित्रकूट	प.चि. लमियारी, वि.ख. पहाड़ी	--	1.00
63	चित्रकूट	प.चि. बराहमाफी, वि.ख. मानिकपुर	--	0.95
64	चित्रकूट	प.से.के. इटवा, वि.ख. रामनगर	--	0.90
65	प्रयागराज	प.चि. जंघई, वि.ख. प्रतापपुर	2005	1.00
66	प्रयागराज	प.चि. करछना, वि.ख. करछना	2006	1.00
67	प्रयागराज	प.चि. बहरिया, वि.ख. बहरिया	1990	0.95
68	लखनऊ	प.चि. सैदापुर	--	0.94
69	लखनऊ	प.से.के. बसंतपुर रेहटा	--	0.90
70	लखनऊ	प.से.के. नवीपनाह	--	0.35
71	लखनऊ	प.चि. गोसाईंगज	--	1.00
72	लखनऊ	प.से.के. फतेहपुर	--	0.70
73	लखनऊ	प.चि. काकोरी	--	0.70
74	लखनऊ	'द' श्रेणी प.औ. छन्दोईया	--	0.45
75	लखनऊ	प.चि. बन्थरा	--	1.00
76	लखनऊ	प.से.के. समेसी	--	1.00
77	गोरखपुर	प.चि. पीपीगंज	--	0.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

78	गोरखपुर	प.चि. खुटहन	--	0.90
79	गोरखपुर	प.चि. कौड़ीराम	--	0.96
80	गोरखपुर	प.चि. पक्काबाजार	--	0.85
81	गोरखपुर	प.चि. बड़हलगंज	--	0.90
82	गोरखपुर	प.चि. बांसगाँव	--	0.90
83	गोरखपुर	प.चि. ठनवल	--	0.90
84	गोरखपुर	प.चि. खजनी	--	0.90
85	गोरखपुर	प.चि. भरवलिया	--	0.90
86	गोरखपुर	प.चि. आलमचक	--	0.90
87	गोरखपुर	प.चि. जगतबेला	--	0.90
88	गोरखपुर	प.चि. ब्रम्हपुर	--	0.87
89	गोरखपुर	प.चि. पिपरौली	--	0.80
90	अयोध्या	प.चि. अमानीगंज, वि.ख. अमानीगंज	--	0.95
91	अयोध्या	प.चि. खण्डासा, वि.ख. अमानीगंज	--	0.95
92	अयोध्या	प.चि. भाईपुर, वि.ख. मसौधा	2010-11	0.95
93	अयोध्या	प.चि. गंगौली, वि.ख. पूराबाजार	--	0.95
94	अयोध्या	प.चि. मवई, वि.ख. मवई	--	0.95
95	अयोध्या	प.चि. पूराबाजार, वि.ख. पूराबाजार	2012-13	0.95
96	अयोध्या	प.चि. हैरिंग्टनगंज, वि.ख. हैरिंग्टनगंज	--	0.95
97	अयोध्या	प.चि. महबूबगंज, वि.ख. मायाबाजार	--	0.95
98	अयोध्या	प.चि. मायाबाजार, वि.ख. मायाबाजार	--	0.95
99	अयोध्या	प.चि. सारंगापुर, वि.ख. सोहावल	2011-12	0.95
100	अयोध्या	प.चि. करेरू, वि.ख. सोहावल	2007-08	0.95
101	अयोध्या	प.चि. मधुपुर, वि.ख. मसौधा	2006-07	0.95
102	अयोध्या	प.चि. बारून, वि.ख. मिल्कीपुर	--	0.95
103	अयोध्या	प.चि. बनी, वि.ख. रूदौली	2003-04	0.95
104	अयोध्या	प.चि. इयोढ़ी, वि.ख. सोहावल	2002-03	0.95
105	अयोध्या	प.चि. चौरेबाजार, वि.ख. बीकापुर	2010-11	0.95
106	अयोध्या	प.चि. मसौधा, वि.ख. मसौधा	2012-13	0.95
107	अयोध्या	प.चि. सोहावल, वि.ख. सोहावल	--	0.95
108	अयोध्या	प.चि. भरतकुण्ड, वि.ख. मसौधा	2004-05	0.95
109	अयोध्या	प.चि. कुरावन, वि.ख. मिल्कीपुर	2012-13	0.95
110	अम्बेडकरनगर	प.चि. सदर	2015-16	0.95
111	अम्बेडकरनगर	प.चि. बरियावन	2014-15	0.95
112	अम्बेडकरनगर	प.चि. मालीपुर	2016-17	0.95
113	अम्बेडकरनगर	प.चि. महरूआ	--	0.95
114	अम्बेडकरनगर	प.चि. जलालपुर	2017-18	0.95
115	अम्बेडकरनगर	प.चि. हंसवर	2016-17	0.95
116	अम्बेडकरनगर	प.चि. जहांगीरगंज	--	0.95
117	अम्बेडकरनगर	प.चि. भीटी	2015-16	0.95
118	अम्बेडकरनगर	प.चि. रामनगर	2017-18	0.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

119	अम्बेडकरनगर	प.चि. कटेहरी	--	0.95
120	कुशीनगर	प.चि. बोदरवार	2013-14	0.95
121	कुशीनगर	प.चि. पिपराबाजार	2012-13	0.95
122	कुशीनगर	प.चि. सेवरही	2016-17	0.95
123	कुशीनगर	प.चि. फरेन्दहा	2011-12	0.95
124	कुशीनगर	प.चि. समऊर	--	0.95
125	कुशीनगर	प.चि. टेकुआटार	2014-15	0.95
126	कुशीनगर	प.चि. कुबेरस्थान	2016-17	0.95
127	कुशीनगर	प.चि. सेखवनिया	2015-16	0.95
128	कुशीनगर	प.चि. अहिरौरी	--	0.95
129	आजमगढ़	प.चि. मुबारकपुर, वि.ख. सठियाँव	2013-14	0.90
130	आजमगढ़	प.चि. रौनापुर, वि.ख. हरैया	2011-12	1.00
131	आजमगढ़	प.चि. शंकरपुर, वि.ख. महराजगंज	2012-13	1.00
132	आजमगढ़	प.चि. जयनगर, वि.ख. पल्हना	2010-11	0.95
133	आजमगढ़	प.चि. फुलेश, वि.ख. मार्टीनगंज	--	0.90
134	आजमगढ़	प.चि. मेहनाजपुर, वि.ख. तरवाँ	2014-15	1.00
135	आजमगढ़	प.चि. लाटघाट, वि.ख. हरैया	2012-13	0.90
136	आजमगढ़	प.चि. मित्तूपुर, वि.ख. पवई	2010-11	1.00
137	आजमगढ़	प.चि. लहुआ, वि.ख. लालगंज	--	0.95
138	आजमगढ़	प.चि. किशुनपुर, वि.ख. जहानागंज	2015-16	1.00
139	आजमगढ़	प.से.के. अमुआरी नरायनपुर, वि.ख. अजमतगढ़	2011-12	0.90
योग-				**128.55**

(रूपये एक करोड़ अठ्ठाईस लाख पचपन हजार मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।